न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 49 / 2024

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र भींयाराम जाति मेघवाल निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 06/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 50 / 37 2.5680 हैक्ट भूमि में से 2315 / 5136 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम नत्थुराम उर्फ मदनलाल पुत्र भींयाराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में मदनलाल पुत्र भीयाराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में नत्थुराम उर्फ मदनलाल के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम मदनलाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम नत्थुराम उर्फ मदनलाल के स्थान पर सही नाम मदनलाल दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:34:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। [illegible] वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम [illegible]नलाल है जबकि राज[illegible]कार्ड में प्रार्थी का नाम नत्थुराम उर्फ मदनलाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम मदनलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 50/37 2.5680 हैक्ट भूमि में से 2315/5136 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम नत्थुराम उर्फ मदनलाल पुत्र भींयाराम के स्थान पर मदनलाल दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम मदनलाल अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 50/37 2.5680 हैक्ट भूमि में से 2315/5136 हिस्सा भूमि में प्रार्थी प्रार्थी का नाम **नत्थुराम उर्फ मदनलाल के स्थान पर मदनलाल का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नत्थुराम उर्फ मदनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नत्थुराम उर्फ मदनलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम नत्थुराम उर्फ मदनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:45 IST
Reason: SelfAttested